

शरारती प्रभुत्व और नेतृत्व

डॉ. नीतू सिंह तोमर, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, विश्वद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली



भारत के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के आधार पर व्यक्ति की आजीविका एवं रोजगार व्यवस्था पर विचार करने से पता चलता है कि प्राकृतिक रूप से भारतीयों के लिए आजीविका के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जिनका उपभोग पूँजीपतियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, जमींदारों, नेताओं, अधिकारियों एवं उनके परिजनों तक सीमित रहने से जनसाधारण उपभोग से जबरदस्त वंचित है। शरारती प्रभुत्व भारतीय समाज में सर्वव्यापी समस्या है। दबंगई, दहशत, चोरी, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, घात, प्रतिघात और विश्वासघात की विभीषिकाएँ व्यापक हैं। संगठित अपराधियों की योजनाएँ सफल हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी एवं संगठित आपराधों पर अंकुश लग पाना ठीक उसी प्रकार असम्भव प्रतीत होता है, जैसे किसी शिशु द्वारा अपनी छाया को पकड़ना अथवा तालाब में प्रतिबिम्बित चाँद के माध्यम से चाँद को पकड़ना। ऐसा क्यों? उत्तर जानने के लिए अपराधी, अपराध एवं आपराधिक योजनाओं की अंजाम प्रक्रिया को जानना होगा। अपराधी कौन और कहाँ रहता है? अपराधी की सुरक्षा कैसे होती है? आपराधिक योजनाओं को अंजाम कैसे दिया जाता है? अपराधियों को सहयोग-संरक्षण कौन देता है? अपराध में पुलिस, प्रशासन, शासन, अदालत, नेता की भूमिकाएँ कैसी होती हैं?

आवारा और अकर्मण्य धन-पद प्रतिष्ठित नेताओं के संपर्क में आकर रातों-रात प्रगति कर धन-कुबेर बन जाते हैं। इनकी बहुमूल्य पोशाकें, गहनें, वाहन एवं सुख-साधन तो देखते बनते हैं। पुलिस, प्रशासन, नेता, दलाल, ठेकेदार इनके गुणगान करते हुए आसपास मंडराने लगते हैं। बत्ती-सायरन युक्त वाहनों का जमघट इनकी शान बन जाते हैं। कानून एवं योजनाएँ इनके द्वारा संचालित होने लगती हैं। अर्थात् सरकारी योजनाओं पर इनका एकाधिकार हो जाता है। क्या मजाल जो इनकी बगैर मर्जी कोई कार्य कर सके। ऐसे लोगों के सम्बन्ध में शिकायत-कार्यवाही की स्थिति को समझने के लिए पर्याप्त उदाहरण है—“एक सज्जन ने एक किशोर को मार्ग में ‘पेशाब’ करते देखा तो सज्जन ने उसके पिता से शिकायत करना सोचा। सज्जन किशोर के घर गए और देखा कि किशोर का पिता अपने चबूतरे पर तथा दादा छत की मुड़ेर पर खड़े होकर घूम-घूम ‘पेशाब’ कर रहे हैं।

नेतृत्व का मुख्य आधार नेता की प्रतिष्ठा से होता है। नेता समूह के लिए आदर्श समझा जाता है। नेता पिता की तरह सभी अनुयायियों का ध्यान रखता है। इसके साथ-ही-साथ अनुयायी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और नेता के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। नेतृत्व द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें नेता और अनुयायी दो विभिन्न अंग हैं। जिसमें न केवल नेता अनुयायियों को प्रभावित करता है बल्कि वह अनुयायियों से भी प्रभावित होता है। अर्थात् नेतृत्व का तात्पर्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित या निर्देशित करने वाली योग्यता से है जो व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होती है न कि पद पर आधारित होती है।

स्वतंत्रतत्त्व अंग्रेजी भाषा का भारतीय संविधान साधारणजनों की समझ से परे है। इसकी मनमानी व्याख्या कर नेता, व्यापारी अधिकारी और उनके परिजन आपसी हितबद्ध सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, सचिव, निदेशक आयुक्त, मेयर, चेयरमैन, कुलपति, कुलाधिपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सलाहकार आदि पदों पर आसीन हो रहे हैं। यह और इनके परिजन फर्जी निवास-वोट से संवैधानिक पद बारम्बार हथिया रहे हैं। यह लोग जो न तो सम्बन्धित क्षेत्र के निवासी हैं और न ही क्षेत्र-सदन में जाकर पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद वेतन-पेंशन सहित सरकारी सुविधाएँ हड़पते हैं। पदासीनता एवं सरकारी कोषों से वेतन-पेंशन लेने के बावजूद राजनेता राजनैतिक दलों के प्रचार करने तक सीमित रहते हैं। अवैध व्यापारों में संलिप्त बहुभेपीय शरारती स्वयं को राष्ट्राध्यक्ष-जनसेवक घोषित कर पाखण्डी प्रदर्शनों से संवैधानिक पदों व राष्ट्रीय धन-सम्पत्ति को हड़पकर देश-समाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। जिसका पर्दाफाश होने पर शरारती भाषणबाजी करके अपने कुकृत्यों को वैध ठहराते हैं। यह लोग सत्ता भोगने के उद्देश्य से जनता को धोखा देकर अपना प्रभुत्व जमाने में सक्रिय बने हैं।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत जन-साधारण के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएँ एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों एवं संगठित शरारतियों की सुख-सुविधाओं और आय के साधन बन गए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, रोग ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।

नेतृत्व पाने वाले लोगों के परिजनों एवं सगे-सम्बन्धियों की गतिविधियाँ व्यक्ति-समाज के लिए अत्यन्त घातक हो रही हैं। नेताओं के परिजन अपने को महानायक के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगे रहते हैं। इनकी सरकारी सुख-सुविधाएँ विशिष्ट हैं। शिक्षा-परीक्षा कार्य सरकारी अधिकारियों, पुलिस व गुर्गों के जुम्में होते हैं। सैरकाल में सुरक्षाधिकारी इनके खिलौने व फुटबाल बनते हैं। सरकारी धन-सुविधाएँ होटल्स एवं आहार-विहार के टिप्स तथा मौज-मस्ती पर व्यय होती हैं। पशु-पक्षियों एवं मानव का शिकार इनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। इनके सहयोगी उच्चस्तरीय एवं सर्वगुण सम्पन्न धनी वर्ग विशेष के होते हैं। यह साधारण एवं दरिद्र जनता से सदैव दूरी बनाए रखते हैं। व्यापारी एवं शांतिर अपराधी अपने लाभ-सुरक्षा हेतु नेताओं के परिजनों को मिष्ठान, फल, दावत, गिफ्ट, धन, नजराना, भेंट और कमीशन देकर इनकी कृपा के पात्र बनते हैं।

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सभी पदों पर राजनीतिक हस्ताक्षेप चरम पर है। सभी संवर्ग-पदों पर आसीन अधिकांश लोग या तो उच्च पदस्थों एवं उनके परिजनों की आवभगत में जुटे हुए हैं या फिर अपने पद पर निष्क्रिय बने हुए हैं। उच्च से निम्न सदनों की पदासीनता हेतु प्रत्याशिता, नौकरी, संवैधानिक पदों पर चयन-मनोनयन में साधारणजनों की उपेक्षा तथा रहीस, नेता, व्यापारी और उनके परिजनों को राज्यपाल, मंत्री, कुलपति, निदेशक आदि का

अधिकांश अपराधी राजनेताओं के बंगलों, राज-अधितिग्रहों में राजकीय सम्मान प्राप्त कर ऐशोआराम का जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर घटनाओं को अंजाम देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटना उपरान्त जिला-प्रशासन और पुलिस के साथ घटना स्थल पर जाकर नाटक कर पक्षकारों पर दबाव बनाते हैं। जिसके कारण लोग इनके विरुद्ध बोलने-गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते व इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। हिरासत में लिए जाने वाले अधिकांश आरोपी दरिद्र होते हैं। जो पैरवी और जमानत राशि के अभाव में कैद कर जेल में डाल दिए जाते हैं। अधिकांश हवालातें दरबों की भाँति बनी हैं। इनमें आरोपी को पशुबाड़े की तरह बन्द कर मलमूत्र-गंदीगी और जहरीले मच्छरों का शिकार बनाया जाता है। हवालाती आरोपियों को सिपाही-दरोगा गरियाते, धमाकाते, मारते हुए कबूल पत्रों व कोरे कागजों पर अंगूठा-साइन कराकर मनमानी धारा में चालान बनाते हैं और पशुओं की भाँति बाँधकर अदालत ले जाकर हवालात में बन्द कर देते हैं। सुनवाई की उपेक्षा या पैरवी-जमानत अभाव में आरोपी जेल भेज दिया जाता है। जेलों में आरोपी-हवालाती और सजायपत्ता दो प्रकार के कैदी बन्द हैं। बैरिकों में निर्धारित क्षमता से कई गुना कैदियों को रात्रि में पशु-बाड़ों की भाँति बन्द किया जाता है। जहाँ भूमि पर लेटने के लिए पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कैदियों में रात्रिभर मारपीट होती है। सीवर नालियों की बदबू और मच्छरों के हमलों के बीच कैदी गंदा-फटा कम्बल बिछा-ओढ़ कर रात्रि व्यतीत करते हैं। शौच एवं स्नान हेतु जल, साबुन, मंजन, कंधा, तेल, नेकर, बनियान, तौलिया, कुर्ता, पैजामा आदि जरूरी वस्तुएँ न मिलने से कैदी अति गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। कैदी को प्रातः 9 बजे का नाश्ता एवं अपराह्न 1 व 5 बजे के भोजन की गुणवत्ता व मात्रा पर्याप्त न दिख जाने से कैदी आए दिन दम तोड़ रहे हैं। दबंग कैदी अवैध वसूली कर जेली-रोटी जला कर अपना भोजन बनाते हैं।

अपराध जगत में सक्रिय पेशेवर अपराधी उच्चस्तरीय सांठगांठ वाले संगठित अति दबंग हैं। जो मनमाने ढंग से संगीन घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद बाल-बाल बच जाते हैं। इनकी दहशत एवं दबंगई के कारण कोई भी इनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लूट, डकैती, हत्याएँ एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराध जगत के दुर्दान्त खलीफा समाज के भाग्य-विधाता के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। नेता, अधिकारी, पुलिस पीड़ित जनता के स्थान पर संगठित अपराधियों की शैडो के रूप में दिखती है। जिसके कारण व्यक्ति और समाज की स्थिति अति दयनीय व चिंतनीय हो रही है।

नायक एवं नेतृत्व की गतिविधियों पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि नेतृत्व कर रहे लोग अपने स्वलाभ के लिए किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय धन-संपत्ति इनके जेब की वस्तु होती है। जब चाहें, जहाँ चाहें, वहाँ प्रयोग या नष्ट कर सकते हैं। देश-विकास की धन-सम्पत्ति मनमाने प्रस्ताव से हथियाकर पीढ़ियों सहित भविष्य सुरक्षित कर लेते हैं। राष्ट्रीय सम्पदा का विक्रय-बंटवारा एवं अशांति हेतु विदेशी आतंकवादियों को आमंत्रित करते हैं। खूंखार परिजनों एवं सगे सम्बंधियों को दूत-मंत्री बनवाते हैं। नंगे-भूखे निर्दोष जनों को कारागार में डलवाकर अमानवीय उत्पीड़न करते हैं। डाकू, लुटेरों भ्रष्टाचारियों को बगल-सीट पर बिठाकर अलंकृत करते हैं। जनहित व न्याय की बात कहने वालों का दमन करा देते हैं।

व्यक्तियों की आय एवं व्यय पर विचारोपरान्त कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यक्ति कठिन परिश्रम करके भी अपने प्रतिपाल्यों को दो जून की रोटी जुटा पाने में असमर्थ रहते हैं। जबकि सरकारी, सार्वजनिक एवं लोकतान्त्रिक पदों पर आसीन व्यक्ति निर्धारित वेतन से कई गुना अधिक फिजूल व्यय करके भी अकूत धन-सम्पत्ति संचित करने में सफल हैं। अतः हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहीसों एवं वी.आई.पी.के लिए व्यापारिक तथा देश, समाज, व्यक्ति के लिए बोझ सिद्ध हो रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' एवं 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के उद्देश्य विफल होकर रहीस-वी.आई.पी. सुखाय मात्र तक सीमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने शरारती प्रभुत्व और नेतृत्व पर विवेचन जरूरी समझा। फर्रुखाबाद जिले से चुनी गई 1000 इकाइयों की प्रतिदर्श सूची में ग्रामीणों की संख्या 700 एवं नगरीय लोगों की संख्या 300 तथा पुरुषों की संख्या 362 एवं स्त्रियों की संख्या 638 है। सम्पर्क के आधार 317 ग्रामसभाओं एवं 117 वार्डस में जाकर चुन गए लोगों से बातचीत कर अनुसूची संकलित की गई है।

दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के स्रोतों की उपयोगिता की जानकारी की गयी है। अनुसूची में प्रश्न 'दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ अनेक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से जो नहीं हो उसे बताइए' के स्रोत 3 भागों में विभाजित है। **प्रथम भाग**— स्थानीय स्रोत 4 उपभागों:— पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, **द्वितीय भाग**— अधिकारिक स्रोत 13 उपभागों— सचिव—निदेशक/कमिशनर, डी.एम./सी.डी.ओ./डी.डी.ओ, एस.डी.एम./तहसीलदार/डी.डी.ओ, ए.डी.ओ/बी.डी.ओ./लेखपाल, समाज कल्याण अधिकारी, सी.एम.ओ./स्वास्थ्य अधिकारी, ए.एन.एम./आशा/चिकित्सक, जिला/ब्लाक/ग्राम पंचायत अध्यक्ष, नगर/टाउन/ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम/टाउन/नगर की खुली बैठक, सांसद/विधायक/मंत्री/सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन, शिक्षक/प्रेरक/आंगनबाड़ी, अन्य में तथा **अन्तिम भाग**— संचार माध्यम स्रोत 5 उपभागों— समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, पोस्टर, पम्पलेट में विभाजित है। प्रत्येक साक्षात्कारदाता अपनी दरिद्रता निवारण सम्बन्धी सरकारी योजनाओं की जानकारी के स्रोतों को 3 प्रकार से बताया है। क्या उसकी जानकारी के स्रोत पर्याप्त हैं? क्या उसकी जानकारी के स्रोत कम हैं? क्या उसकी जानकारी के स्रोतों का अभाव है? प्रश्न के प्रत्येक उपभाग के उत्तर के लिए अधिकतम 2 अंक (उत्तर नहीं के लिए 0 अंक, कम के लिए 1 अंक, पर्याप्त के लिए 2 अंक) और पूरे प्रश्न के लिए अधिकतम 28 अंक हैं। दरिद्रताग्रस्त 1000 उत्तरदाताओं से दरिद्रता निवारण सम्बन्धी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के उक्त स्रोतों के नहीं होने के सम्बन्ध में पूँछा गया तो सभी उत्तरदाताओं ने पारिवारिक सदस्य, पड़ोसी, मित्र, सचिव—निदेशक, कमिशनर, डीएम, सीडीओ, डीडीओ, एसडीएम, बीडीओ, लेखपाल, समाज कल्याण अधिकारी, सीएमओ, स्वास्थ्य अधिकारी, एएनएम, आशा, चिकित्सक, जिला—ब्लाक—ग्राम पंचायत अध्यक्ष, नगर—टाउन—ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम—टाउन—नगर की खुली बैठक, सांसद, विधायक, मंत्री, सलाहकार, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वैच्छिक संगठन, आँगनबाड़ी, शिक्षक, प्रेरक तथा समाचारपत्र, रेडियो, पोस्टर, पम्पलेट सभी स्रोतों के न होने के प्रत्येक ने उत्तर के लिए 'पर्याप्त' बताया है। जिसके लिए 1000 उत्तरदाता को प्रत्येक उपभाग में प्रत्येक उत्तर पर्याप्त के लिए 2 अंक दिए गए हैं। इस प्रकार उत्तरदाताओं के प्राप्तांकों का योग **भाग—अ के उपभाग—1 से 4 तक 18000, भाग—2 के उपभाग—1 से 13 में 26000, तथा भाग—स के उपभाग—1 से 5 में 10000, जिनका कुल योग 46000 और औसत 46 है तथा 1000 साक्षात्कारदाताओं के लिए अधिकतम अंक योग 46000 और औसत 46 है। अधिकतम अंकों का योग एवं प्राप्तांकों का योग तथा औसत अंकों में अन्तर क्रमशः 0, 0 है।**

निष्कर्ष: दरिद्रता उन्मूलन सम्बन्धी दरिद्र कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी दरिद्रों तक पहुँचाने वाले उक्त सभी स्रोत न ही दरिद्रों के लिए मददगार हैं और न ही दरिद्रता उन्मूलन हेतु अपने दायित्वों का उचित निर्वहन करते हैं। अतः दरिद्रता उन्मूलन के उक्त स्रोत व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं।

अवलोकन सहित साक्षात्कार—अनुसूची से प्राप्त तथ्य

प्रश्न	सम्बन्धित पद	पदासीनों की क्षेत्र-जनों में उपलब्धता			पदासीनों की क्षेत्र-जनों में उपयोगिता			पदासीन जनसंपर्क	पदासीनों की भावनात्मक एवं कार्यात्मक भूमिकाएँ				
संख्या	अनुसूची—प्रश्न	पर्याप्त	कम	नहीं	पर्याप्त	कम	नहीं	हाँ नहीं	स्वार्थी धनिक जातीय पारिवारिक, भ्रष्ट जनहित				
अ-1	पारिवारिक सदस्य			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
अ-2	पड़ोसी			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
अ-3	मित्र			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
अ-4	रिश्तेदार			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-1	सचिव, निदेशक, आयुक्त			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-2	डीएम, सीडीओ, डीडीओ			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-3	एडीओ, बीडीओ, लेखपाल			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-4	समाजकल्याण अधिकारी			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-5	सी.एम.ओ, स्वा.अधिकारी			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-6	एएनएम, आशा, चिकि.			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-7	जि/क्षे/ग्रा.पचां.अध्यक्ष			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं
ब-8	न./टा./ग्रा.पचां.सचिव			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ नहीं

ब-9	ग्राम/नगर खुली बैठकें			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
ब-10	सांसद,विधा.मंत्री सला.			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
ब-11	सा.कार्य,स्वैच्छिक संगठ			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
ब-12	शिक्षक,प्रेरक,आंगनबाड़ी			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
ब-13	अन्य			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-1	समाचार-पत्र			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-2	पत्रिका			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-3	रेडियो			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-4	पोस्टर			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
स-5	पम्पलेट			1000			1000	1000	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं

दरिद्रों एवं उनके आश्रित जीवन की मूलभूत आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीवन-यापन कर रहे हैं। ये दरिद्र और उनके आश्रित रोटी के लिए रोज अपना जीवन दांव पर लगाते हैं। यह कूड़े-कचड़े के ढेरों में कबाड़ बीनते हैं, तालाब-गड्डों से मेड़क-मछली ढूँढ़ते हैं, खेत-वन में पक्षी-खरगोश पकड़ते हैं, बिलों में सांप निकालते हैं, कोल्ड में सड़े आलू बीनते हैं, भीख माँगते हैं और रुखी-सूखी रोटी से अपना तथा आश्रितों के पेट की भूख की आग मिटाते हैं। इनके आवास गन्दगी के ढेरों, गन्दे नालों, तालाबों, गन्दगी क्षेत्र में कीड़े-मकोड़ों के बीच टूटी-फूटी झोपड़ियों में हैं जहाँ जहरीले कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप है। कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बन्दर, नांग, बिच्छू, गधे, खच्चर आदि परिवार के सदस्य के रूप इनके साथ रह कर इनकी आजीविका एवं सुरक्षा में साथ निभाते हैं। यह दरिद्र और उनके आश्रित शिक्षा व रोजगार सहित दरिद्र कल्याण योजनाओं एवं आरक्षण लाभ से जबरदस्त वंचित हैं। इनको मिलने वाले भूमि-पट्टे, आवास, राशन, नौकरी, सब्सिडी, लोन, आरक्षण सभी कुछ सक्षम व कर्मचारी हड़प रहे हैं। दबंग इन पर अपराधी का ठप्पा लगाकर इनसे बेगार कराते एवं स्त्रियों से शराब बिकवाते हैं तथा मादक द्रव्य, शराब आदि फर्जी केसों फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। नौकरी में आरक्षण होने के बावजूद एस.टी. वर्ग के व्यक्तियों की बेरोजगारी देश-समाज के लिए बड़ी चुनौती है।

दरिद्र व्यक्ति जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं, वे हैं—(i) भर पेट भोजन का अभाव, (ii) मौसम अनुकूल वस्त्रों का अभाव, (iii) रहने के लिए आवास का अभाव, (iv) सामान्य स्वास्थ्य का अभाव, (v) निरक्षरता, (vi) बेरोजगारी, (vii) ऋण ग्रस्तता, (viii) बंधुआ मजदूरी (ix) बालश्रम, (x) भिक्षावृत्ति, (xi) वैश्यावृत्ति, (xii) बालविवाह, (xiii) पूँजीवाद, (xiv) जातिवाद, (xv) अस्पृश्यता, (xvi) मध्यपान, (xvii) नशा, (xviii) अन्याय, (xix) भ्रष्टाचार तथा (xx) प्राकृतिक आपदा।

समाज धार्मिक पाखण्डों के मकड़जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। देव-स्थलों पर रखे पत्थर मानव के लिए पूजनीय हैं। धार्मिक प्रवचनों से वशीभूत मानव कुर्बान होते हैं। जेहाद नाम पर नरसंहार होता है। कर्मकाण्डों में जीव बलि दी जाती है। पाखण्डी स्वयंभू ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होकर भोग-विलास में लिप्त हैं। देवस्थल तस्करी एवं आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। यहाँ से अफवाहें फैलाकर व्यक्ति-समाज को भय, दहशत, अराजकता, अंधानुकृत वातावरण में रहने को मजबूर किया जाता है।

राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रयास सत्ता व शक्ति पर किसी भी प्रकार अधिकार प्राप्त करना और तब तक उसके साथ चिपके रहने से होता है जब तक चुनाव के द्वारा उन्हें उखाड़ न फेंका जाय। उनका यह भी प्रयास होता है कि सत्ता पर उनके ही परिवार का व्यक्ति स्थापित हो जाए। हर बात जनता की दुहाई देकर लोगों के भावात्मक आवेश को ये प्रतिनिधि अपने पक्ष में कर लेते हैं फिर चरवाहे की तरह इन भेड़ों को हाँकते हैं। जनता पागल होकर इनके पीछे दौड़ती रहती है, इनका यशगान करती रहती है और उन्हें अपना भाग्य-विधाता मानकर पूजा करने लगती है लेकिन अन्ततोगत्वा यह मालूम पड़ जाता है कि ये शक्तियाँ सारा नाटक अपने स्वार्थी केंद्र के चारों ओर ही रचती हैं। भेद खुल जाने पर पुजारियों को ज्यों ही शंका होने लगती है उन्हें निर्ममता से समाप्त कर दिया जाता है और दूसरे पुजारी उनका स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार आगे चलकर ये प्रतिनिधि अपने आतंकी हथकंडों द्वारा अपने प्रशंसकों एवं समर्थकों की जमात बदलते रहते हैं और आलोचकों का सफाया करते रहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था में नेतृत्व के लिए चुनाव आवश्यक है। चुनाव के माध्यम से सर्वसमाज के योग्य एवं शिष्ट व्यक्तियों को चयन का अवसर प्राप्त होता है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था जन नेतृत्व पर आधारित होती है। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अनुरूप देश, राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम, नगर के प्रमुख पदों हेतु चुनाव सम्पन्न होते हैं। चुनावों के माध्यम से व्यवस्था संचालन हेतु विभिन्न स्तरों की समितियों के सदस्य एवं अध्यक्ष चुने जाते हैं। जिनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इनके प्रत्येक कार्य एवं व्यवहार के लिए आचरण प्रक्रिया संहिताएँ निर्धारित होती हैं। इनका विपथगमन दण्डनीय होता है।

जब सत्ता का संचालन जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो जाता है और सत्ता गैंग या दलों के आपसी हितबद्ध लोगों के स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हो जाती है, तब चारों तरफ अन्धेरा, छल, कपट, भय, दहशत, लूट, डकैती, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सर्वसमाज के लोग एक-दूसरे से सशंकित रहने लगते हैं। क्षण-प्रतिक्षण नवीन घटनाएँ घटित होने लगती हैं। लोगों के बीच छलियों का चमत्कारी विधान लागू हो जाता है, लोकतन्त्र के हत्यारे एवं लुटेरे समाज के भाग्य-विधाता बन जाते हैं। सामान्य जनसमाज लुटेरों के जलसों का चरणामृत व रैली-घोषणा के वादों की भीख प्रतीक्षा में जीवन यापन करने को मजबूर हो जाता है। जनता बेरोजगारी, दरिद्रता, मंहगाई, भ्रष्टाचार की मार से तडपती रहती है और राजनेता मौज में रहते हैं।

लोग नेतृत्व के लिए तरह-तरह का दिखावा करते हैं। कोई अपने को समाजसेवी कहता है, पर्चा-बैनर छपवाता है, रैलियों के मंच पर चढ़कर दहाड़ता है, जनता के चरणों पर अपना सिर रखकर समर्थन की भीख मांगता है, दरिद्रों के घर में घुसकर नमक-रोटी मांगता है एवं दरिद्र बच्चों को गोद में लेकर दुलारता है। परन्तु ऐसा करने वाले वास्तव में जनसेवा और सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं रखने वाले होते हैं और न ही अपने से अधिक किसी अन्य का आदर बर्दास्त कर सकते हैं, बल्कि जनसेवा की दुहाई देकर एवं अपनी नेम-प्लेट्स में जनसेवक शब्द लिखकर एवं पार्टी झंडा-बैनर लगाकर लज्जरी गाड़ियों में बैठ पुलिस-अधिकारियों पर जबरदस्त दबाव बनाकर सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का धन हड़प बंदरबांट एवं तस्करी व्यापार संचालित करते हैं। इनकी वास्तविक आय के स्रोत अति दयनीय होने के बावजूद इनके पास अकूत धन-सम्पदा पाई जाती है। चुनाव काल में अपनी काली कमाई का कालाधन चुनाव में वोट खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। चुनाव एजेण्ट एवं जाति विशेष के लोगों को शराब, खाना, उपहार, धन बांटते हैं, तरह-तरह के प्रलोभन, वादे एवं घोषणाएँ करते हैं। खूंखार डकैतों और गिरोहबंद माफियाओं को धन देकर विवादित लोगों के बीच संगीन घटनाओं को अंजाम देकर, विवादित लोगों को फंसाते हैं। बिरादरी को भड़काकर जलूस निकालकर दबाव बनाते हैं और संप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न करके आपसी भाईचारा समाप्त कर देते हैं। चुनाव में खाना पैकट, धन, दहशत के प्रभाव से तथा रिश्तेदार एवं भाड़े के अपराधियों को एकत्र कर फर्जी मतदान कराते हैं।

चुनाव परिणाम के उपरान्त असफल प्रत्याशी अगले चुनाव तक क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं। चुनाव में सफल व्यक्ति नगरों और महानगरों में मकान खरीदते हैं और जब सरकारी योजनाओं का धन क्षेत्र को आवंटित होता है तो उस धन का बंदरबांट करने, कागजी खानापूति एवं अपने लोगों में प्रभाव बनाए रखने के उद्देश्य से यदा-कदा क्षेत्र में घूमा-फिरी करते हैं। इन प्रवासों में अपने विरोधियों को लड़वाने एवं लुटवाने का षड़यंत्र रचते हैं तथा पुलिस दलाली कर जबरदस्त अवैध धन उगाही करते हैं। सदन कार्यवाही में दबाव बना कर अपना मोलभाव कर पद एवं सुख-सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। व्यापारियों एवं पेशेवर अपराधियों को सुरक्षा गारण्टी का अश्वासन देकर उनसे मोटी रकम एवं सुविधाएँ वसूलते हैं। इनके धन, पद एवं दहशत के प्रभाव में कोई भी व्यक्ति यदि इनकी बात का विरोध सोचता है तो उसे गुगों एवं पुलिस से प्रताड़ित कराकर फर्जी केसों में फंसाकर जेल में डलवा देते हैं। इस तरह हमारा नायक अपराध-व्यापार जगत में डॉन के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पुनः चुनाव आने पर यह अपना स्वयं का दल या किसी दल में प्रभाव बनाकर जबरदस्ती चुनाव जीतने का प्रयास करने लगते हैं। पुनः रैलियाँ करने लगते हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि लुटने वाले से लूटने वाला अति महान दानी एवं लुटेरा भाग्य विधाता होता है। इस तरह अपनी

उपयोगिता बता पुनः सत्ता हथियाने का दुःचक्र रचते हैं। यदि विरोधी इन्हें पराजित करने में सफल होता है तो पुनः अपने को निवर्तमान मंत्री/सांसद/विधायक/अध्यक्ष घोषित कर दल एवं प्रत्याशियों से समर्थन या विरोध का मोलभाव कर धन व पद पा लेते हैं तथा जनता के बीच तरह-तरह की अफवाहों का प्रचार-प्रसार कर जबरदस्त प्रभाव बनाते हैं। कुछ लोग तो अपने पद एवं सदस्यता का इस्तीफा देने का ढोंग कर सत्ता पर दबाव बनाकर मंत्री पद तक हथिया लेते हैं। जनसमस्याओं एवं जनसेवा कार्यों से इनका दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। सरकारी विकास निधियाँ 40% धन लेकर गैरक्षेत्रीय लोगों को बेच देते हैं तथा सांसद एवं विधायक निधियों का अधिकांश भाग सरकारी स्कूलों की जगह निजी स्कूलों एवं व्यापारों में लगा रहे हैं।

मालिक, धनी, व्यापारी, अधिकारी, सरकार, नेता शोषण पीड़ितों से घृणा करते हैं। ये आलसी, अकुशल और समाज पर बोझ माने जाते हैं। इनको हर स्तर पर सताया जाता है, जलील किया जाता है एवं इनसे भेदभाव किया जाता है। इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता और ये शक्तिहीन होते हैं। इस कारण ये सदैव शक्तिशाली लोगों के आक्रमण एवं विद्वेष के निशाना बनाए जाते हैं। इन्हें निरक्षरता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें सामूहिक शक्ति का अभाव होता है और जब कभी ये स्थानीय या लघु स्तर पर समाज के राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिक शक्तिशाली समूहों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न करते हैं तो उन लोगों को लगता है, कि उनके आधिपत्य को खतरा है, इस कारण दरिद्रों को कुचल दिया जाता है। इन्हें ऋण पर ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता है। इन पर दोषारोपण किया जाता है। जिन कार्यालयों में ये जाते हैं, वहाँ इनकी ओर बहुत कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुलिस तो सबसे पहले उन क्षेत्रों में जाती है जहाँ पीड़ित रहते हैं जैसे कि मात्र पीड़ित गरीब ही अपराध करते हैं। ये बिरले ही विश्वसनीय, भरोसे के और ईमानदार माने जाते हैं। इस प्रकार समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रतिकूल रवैया इनकी आत्मछवि को गिराता है, इनमें हीन-भावना को जन्म देता है और अपनी सहायता के लिए साधन जुटाने के प्रयत्नों पर रोक लगाता है।

सुझावः—हमें ऐसी राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाने के प्रलोभन से बचने की जरूरत है। जो हमें विभाजित करतीं हों और भारतीयों के इस या उस वर्ग की पहचान व निष्ठा पर प्रश्न उठातीं हों। नेतृत्व का कार्य नागरिकों के मध्य पारस्परिक विश्वास और समन्वयपूर्ण एकजुटता का निर्माण करना है। ऐसा केवल ऐसे नेतृत्व द्वारा ही किया जा सकता है जिसके पास नैतिक शक्ति हो। नेताओं को उनकी नैतिक आचरणगत दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यकता है। ताकि लोकतान्त्रिक जीवन्तता को जगाया जाए।

दिनांक 27-12-2018

डॉ.नीतू सिंह तोमर